न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 35 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
1. हवा पुत्री खमीशा पत्नी ताजुखां 2. एमनी पुत्री खमीशा पत्नी उस्मान खां 3. जली बानो पुत्री खमीशा जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी	1. गुल मोहम्मद पुत्र खमीशा 2. वली मोहम्मद पुत्र खमीशा जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 3. मफीदेवी पत्नी आम्बाराम जाति कलबी निवासी सिंधासवा हरनियान 4. हकीम पुत्र गुल मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी गुडामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 137 / 2022 बउनवान हवा वगैरह बनाम गुल मोहम्मद वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भजनलाल गोदारा उत्तरदाता संख्या 03 की ओर से।
3. वकील श्री कुमार कौशल जोशी उत्तरदाता संख्या 01, 02 व 04 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—16.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण / अपीलकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा वादीगण एवं प्रतिवादीगण

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संख्या 01 से 02 एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 1783 रकबा 1.1088 हैक्टेयर का मौजा गुड़ामालानी में अवस्थित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 02 मुस्लिम विधि से शासित हैं तथा मुस्लिम विधि में पत्नी का 1/8 हिस्सा होता है। तथा पुत्रों का आधा हिस्सा पुत्रियों का होता है। इस प्रकार विवादित आराजी में खसीशा के फौत के बाद 1/8 हिस्सा गायकी का था तथा शेष 7/8 हिस्सा दो पुत्रों प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का तथा वादीगण का बनता है। इस प्रकार वादीगण से डबल हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का होता है तो प्रत्येक वादीगण का 1/8–1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 2/8–2/8 हिस्सा बनता है। वादीगण की माता गायकी का स्वर्गवास होने पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 वादीगण के पास आये और वादीगण को कहा कि हमारी माता का स्वर्गवास होने पर फौतगी का नामांतकरण भरना है इसलिए आप तहसील चलो जिस पर वादीगणने अपने सगे भाईयों पर विश्वास कर लिया और वादीगण के साथ तहसील गुड़ामालानी में दिनांक 20.10.2021 को उपस्थित हुए जहां पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने फौतगी का नामांतकरण का कहते हुए वादीगण की माता के फौतगी पर भरे जाने वाले नामांतकरण में अपने दोनों भाईयों के नाम का हकर्तकनामा लिखवा दिया जिसके कारण उक्त फौतगी का नामांकरण प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम से स्वीकृत किया गया। अर्सा एक माह पूर्व प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा वादीगण कब्जे काश्त में दखलदांजी की, बेदखल करने का प्रयास किया तथा बताया कि प्रतिवादी संख्या 03 ने प्रतिवादी संख्या 02 वली मोहम्मद से उसके हिस्से की सम्पूर्ण भूमि व गायकी से उसके 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण भूमि का 1/6 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बेचान से क्रय किया गया है तब वादीगण को उक्त की जानकारी होने पर अपने पैतृक हकों की घोषणा का वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित मौका दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण द्वारा पेश वाद को प्राथमिक स्टेज पर आदेश 07 नियम 11 के आवेदन पर आदेश पारित करते हुए खारिज किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादीगण/अपीलकर्ता हस्तगत वाद पत्र अपने पिता खमीशा की मृत्यु होने पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 तथा उनकी माता श्रीमती गायकी देवी के नाम से जो नामांतकरण भरा गया था उसको चुनौति देते हुए पिता की फौतगी के समय अपीलकर्ता का हक व हिस्सा लेने के आधार पर ही प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद पर गहन मनन किये बिना प्रारम्भिक स्टेज पर खारिज किया गया। माननीय राजस्व मण्डल एवं सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा भी अपने प्रतिपादित सिद्धांतों में यह अवधारित किया है कि किसी भी वाद पत्र में आदेश 07 नियम 11 सी पी सी के बाबत् आपत्ति होने पर वह अपने जबावदावे में उसकी उजरदारी कर सकता है तथा वाद के अंतिम स्टेज पर ही इसका उल्लेख किया जा सकता है। वादीगण/अपीलकर्ता ने अपने वाद पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वादग्रस्त खेतों पर अपीलकर्ता के पिता खमीशा के फौत होने पर प्रत्येक वादीगण का 1/8–1/8 हिस्से पर कब्जा व काश्त है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त खेत के कब्जे बावत किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करते हुए मात्र हकतर्कनामा का दस्तावेज के आधार पर उक्त वाद पत्र को खारिज करने में कानून एवं विधि की त्रुटि कारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आराजी पैतृक है। अपीलांटगण द्वारा अपनी माता के फौत होने पर माता के हिस्से तक अपीलाधीन आराजी का हक त्याग किया गया। पैतृक भूमि में अपीलांटगण को अपने पिता की आराजी जो हक हिस्सा प्राप्त होना शेष रहा गया उसका किसी प्रकार से हक त्याग नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में तनकीयात कायम किये बिना निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटगण ने उप पंजीयक कार्यालय गुड़ामालानी में उपस्थित होकर हकतर्कनामा दिनांक 20.10.2021 को निष्पादित कर अपना सम्पूर्ण पैतृक हक हिस्सा अपनी स्वैच्छा से त्याग दिया गया। अपीलांटगण ने रजिस्टर्ड रिलीज डीड निष्पादित कर भूमि में हिस्सा छोड़ा है रिलीज डीड को राजस्व न्यायालय के समक्ष आक्षेपित नहीं किया जा सकता है तथा केवल सिविल न्यायालय में आक्षेपित किया जा सकता है। वादीगण/अपीलांट द्वारा हक त्याग करने के बाद जब तक वादीगण सक्षम सिविल न्यायालय में हकत्यागनामा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपास्त नहीं करवा दे तब तक वाद राजस्व न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद पेश किया गया वो क्षेत्राधिकार से बाहर था। अपीलांटगण की मंशा प्रकरण को अनावश्यक चुनौति देते हुए उत्तरदाता को तंग परेशान करना तथा खर्चे से जेरबार करना है। उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांटगण की अपील को मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट/वादीगण द्वारा अपीलाधीन आराजी में अपने पैतृक हक हिस्सा को दिनांक 20.10.2021 को जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा से अपने भाईयों प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पक्ष में स्वेच्छा से त्याग दिये। इसलिए अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण का स्वामित्व व अधिकार समाप्त हो चुका है। उक्त रजिस्टर्ड हकतर्कनामा में अपीलांटगण स्वयं ने स्वीकार किया है कि "हमारा उक्त भूमि से कोई लगाव नहीं है तथा हम हमारे ससुराल में रहती हैं। हमारे ससुराल में कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। इसलिए भूमि की आवश्यकता नहीं है। आपने सामाजिक रिती रिवाज के अनुसार उक्त भूमि के बदले हमें गहने भेंट कपड़े आदि दे दिये हैं।" इससे साफ जाहिर होता है कि अपीलांटगण द्वारा अपने हक़ की भूमि अपने भाईयों के पक्ष में त्याग करते समय अपने हितों का पूर्ण संरक्षण करते हुए उक्त हकर्तनामा निष्पादित किया गया। अपीलांटगण/वादी द्वारा स्वेच्छा से किये गये हकतर्कनामा को सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं देकर राजस्व न्यायालय में चुनौती दी है इस प्रकार वाद अपीलांटगण ऐसी स्थिति में बिना हकतर्कनामा खारिज करवाये राजस्व न्यायालय में पोषणीय नहीं है। रजिस्टर्ड हकतर्कनामा को खारिज करने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विस्तृत विवेचन के हस्तगत वाद को आदेश 07 नियम 11 सी पी सी के आवेदन को स्वीकार करते हुए खारिज किया गया। अपीलांटगण येन-केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 137/2022 बख्तावान हवा वगैरह बनाम गुल मोहम्मद वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2024 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

16/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर